

2018/00298

महोदय,

**रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.**

ग्राम जालखेडा जमाबंदी संवत् 2071-74 में  
खता सं 63 में धापू वाई बेवा देवीलाल दर्ज है जो कि  
सम्मान प्राप्त नहीं है अतः धापू वाई बेवा देवीलाल के  
बजाय धापू वाई धर्मपाल देवीलाल दर्ज किया  
जाता उचित है

20/5-18  
ER अ.नि.

30/5/18  
पटवारी  
जालखेडा

**रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार**

रिपोर्ट पटवारी द्वारा ठीक करी के आधार पर  
बेग के बजाय धर्मपाल किया जात उचित है

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

**आदेश**

क्र.सं 378/18

30/05/2018

हरन राय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर  
ग्राम जालखेडा की जमाबंदी संवत् 2071-74 में  
खता संख्या 63 में धापू वाई बेवा देवीलाल के बजाय  
धापू वाई धर्मपाल देवीलाल दर्ज किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा